न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2017-00110RAAJodhpur2017-100RTA225 Sohani devi Vs Bhanwari etc

श्रीमती सोहनी देवी पत्नी श्री जीताराम, जाति जाट निवासी–गारासनी तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. भंवरी देवी पत्नी श्री परसाराम जी जाति जाट निवासी–दाडमी तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ़।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेष दिनांक 22 मई 2017 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2016 भंवरी देवी बनाम सोहनीदेवी इत्यादि

उपस्थित–

श्री जस्साराम चवेल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट

श्री शैतानराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01**(बावजूद सूचना अनुपस्थित)**

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 02

नि र्ण य

दिनांक : 02 जून 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2016 भंवरी देवी बनाम सोहनीदेवी इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 22 मई 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 01 अगस्त 2017 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपीलांट की खातेदारी खेत खसरा नं. 585 रकबा 11.11 बीघा ग्राम गारासनी तहसील भोपालगढ में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 589 रकबा 18.06 बीघा में सें सलंग्न नजरी नक्षे अनुसार मार्क अ.ब,स,द 15 फीट

चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी/अपीलांट की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी/रेस्पो. के प्रार्थना पत्र का खण्डन किया गया। तत्पष्चात विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेष दिनांक 22 मई 2017 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता खसरा नंबर 590 में से उपलब्ध है। यह उल्लेखनीय है कि खसरा नंबर 590 की भूमि रेस्पोडेंट संख्या एक की ही खातेदारी की भूमि है। खसरा नंबर 590 खसरा नंबर 592 से लगता है। खसरा नंबर 592 भी रेस्पोडेंट का ही है, जिसमें सें सड़क चल रही है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौक पर उपलब्ध रास्ते क सभी विकल्पों की जांच नहीं की गई तथा मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट पर आपत्तियॉ भी प्रस्तुत की गई, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा आपत्तियो को खारिज कर दिया गया। अपीलांट की ओर से उक्त आदेष के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, किंतु विचारण न्यायालय ने राजनैतिक दबाव में आकर निगरानी के विचाराधीन रहते अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पत्रावली को लोक अदालत कैम्प में रखकर अपीलाधीन आदेष पारित कर दिया। कानूनन राजीनामा के प्रकरण ही लोक अदालत में निस्तारित किये जाते है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सूचित किये बिना ही उसकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेष पारित किया है जो विधिक प्रावधानों एवं धारा 251–ए की मंषा के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष दिनांक 22 मई 2017 को अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब, आपत्ति प्रार्थना पत्र एवं नक्षा किष्तवार मौजा गारासनी पी–35 क्रमांकः 1126 दिनांक 16.11.2016 के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के बजाय उसकी स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 590 में से होते हुए निकटतम रास्ता मौके पर उपलब्ध होना प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 590 की भूमि भी रेस्पोडेंट संख्या एक की खातेदारी में ही दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार किये जाने तथा रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध सभी रास्ते के विकल्पों की जांच नहीं किये जाने पर अपीलांट की ओर से मौका फर्द पर आपत्तियॉ प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों की जांच कर उन्हें रेकर्ड पर लेकर लघुतम रास्ते का चयन किये जाने के बजाय प्रस्तुत आपत्तियों को विधि–विरूद्ध तरीके से खारिज किया जाना प्रकट होता है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के उक्त आदेष के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी संख्या 2017/2842 प्रस्तुत की गई, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा निगरानी के विचाराधीन रहते पत्रावली को लोक अदालत केम्प में पक्षकार पक्षकारान् की अनुपस्थिति में उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेष विधिक प्रावधानो एवं धारा 251–ए की मंषा के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष विधि–विरूद्ध एवं धारा 251–ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंषिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय हायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2016 भंवरी देवी बनाम सोहनीदेवी

इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 22 मई 2017 निरस्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मौके पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक रास्तों बाबत जांच रिपोर्ट उभय पक्ष की उपस्थिति में तलब कर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम पर विधिसम्मत आदेष पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर